

24/3/20. पत्रा. पैसा।  
 प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा धारा 22  
 R.T. Act के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरिम  
 निवेदाजा प्राथमिक पत्र पेश किया गया।  
 Title/Jamabandi Record के के  
 अनुसार विवरित ग्राम अशोक कुमार  
 के नाम दर्ज है। (प्रसरा संख्या  
 293/1, 296, 300, 38/468 पूर्व)।  
 TDR की मौका कमिश्नर रिपोर्ट  
 के अनुसार प्रसरा संख्या 293/1,  
 296 व 38/468 अशोक कुमार के  
 नाम दर्ज है व उसी के कब्जे  
 कारत में है।  
 प्रसरा संख्या 300 रकबा 0.17 है  
 प्रार्थी के नाम पर दर्ज है किन्तु,  
 उसपर अन्य व्यक्तियों के पक्के  
 मकान व बाड़े बना दिए हैं व  
 रस्ता निकला हुआ है।  
 TDR की रिपोर्ट अनुसार जिन  
 व्यक्तियों का कब्जा है वही इस  
 बंद में प्रतिवादी हैं।  
 प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश  
 नहीं किया गया। समुचित अवसर  
<sup>9</sup>/<sub>9</sub> वन के बाद इसका <sup>9</sup>/<sub>9</sub>  
 का न्यायालय द्वारा बंद  
 किया गया।

1) Prima facie case - प्रार्थी

व  
म  
की  
तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

प्रसरा संख्या 300 का recorded होते वार  
हैं। TDR की रिपोर्ट उसकी जमीन  
पर हुए कब्जे को प्रमाणित करती है।  
prima facie case वादी के पक्ष में है।

2) Balance of Convenience -  
अगर T.I grant नहीं की जाती तो  
प्रतिवादी कब्जा बड़ा सकता है  
जिससे वादी की recorded शक्ति को  
हानि हो सकती है।  
अगर T.I grant की जाती है तो वह  
कब्जा और बढ़ाने पर रोक करेगा।  
अतः प्रदक्षी वादी के पक्ष में है।

3) Irreparable injury  
यदि प्रतिवादी उक्त जमीन पर  
अपना निर्माण बढ़ाता है तो  
वादी की जमीन को हानि होने  
की संभावना है।  
अतः Irreparable loss हो सकता  
है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार  
किया जाता है।

प्रतिवादीगण को निर्दिष्ट किया जाता  
है कि वे विवादित भूमि प्रसरा

संख्या 296 एवं 300 ग्राह  
लेवया घेड़ी तहसील रामगंजमंडी  
पर किसी प्रकार का नवीन

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहमद  
हुकम  
में

निर्माण, परिवर्तन अथवा तृतीय  
पक्ष को हस्तांतरण नही करेगा  
तथा यथास्थिति बनाए रखेगा।

यह आदेश बाद के अंतिम निर्णय  
तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय दिनांक 24/03/20 को  
सुनाया गया।

*Che*  
उपसभ अध्यक्ष  
24/03/20  
समग जमण्डे